संख्या 12/2015/733/सत्रह-म-2015 -6-9(74)/2013

प्रेषक

अर्चना अग्रवाल]

प्रमुख सचिव

उ0प्र0 शासन।

सेवा में

निदेशक मत्स्य

उ0प्र0लखनऊ ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ दिनांक 26 मई 2015

विषय प्रदेश के 19 जनपदों के मत्स्य पालक विकास अभिकरणों के कार्मिकों की अधिवर्षता आयु 58 वर्ष से बढाकर 60 वर्ष किये जाने के संम्बंध में।

महोदय

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या 569/ स्था0 शा0 / 1-6 (10)/ टी0सी0 -।। दिंनाक 29-10-2014 एवं पत्र संख्या 606/ स्था0 शा0 / 1-6 (10)/ टी0सी0 -।। दिंनाक 27-11-2014 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके माध्यम से प्रदेश के 19 जनपदों के मत्स्य पालक विकास अभिकरणों के कार्मिकों की अधिवर्षता आयु 58 वर्ष से बढाकर 60 वर्ष किये जाने के संम्बंध में प्रस्ताव उपलब्ध् कराया गया था ।

2- इस सम्बंध में वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग - 2 के शासनादेश संख्या-वे0आ0 - 2-493 / दस - 2013 दिनांक 12-8-2013 में उल्लिखित प्राविधानों के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मत्स्य विभाग के अन्तर्गत 19 मत्स्य पालक विकास अभिकरणों में कार्यरत कार्मिकों की अधिवर्षता आयु 58 वर्ष से बढाकर 60 वर्ष किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।

3 मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों से आच्छादित कार्मिकों की अधिवर्षता आयु के सम्बंध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेगें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4 - यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

5 - यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या- वे0आ0 -2-693 / दस- 2015 दिनांक 22 मई 2015 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहें है।

6 - उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

भवदीया

अर्चना अग्रवाल
प्रमुख सचिव।

संख्या- 12/2015 /733(1)/सत्रह-म-2015 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पे्षित-

1. **महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद।**
2. **मुख्य विकास अधिकारी /अधिशासी निदेशक मत्स्य पालक अभिकरण जनपद-बदायूं मेरठ वाराणसी आजमगढ बस्ती देवरिया गोरखपुर फैजाबाद गोण्डा प्रतापगढ सुल्तानपुर बाराबंकी जौनपुर बलिया गाजीपुर इलाहाबाद उन्नाव लखनऊ रायबरेली।**
3. **कोषाधिकारी जनपद- बदायूं मेरठ वाराणसी आजमगढ बस्ती देवरिया गोरखपुर फैजाबाद गोण्डा प्रतापगढ सुलतानपुर बाराबंकी जौनपुर बलिया गाजीपुर इलाहाबाद उन्नाव लखनऊ रायबरेली।**
4. **19 मत्स्य पालक विकास अभिकरणों से सम्बन्धित उप निदेशक मत्स्य ।**
5. **मुख्य कार्यकारी अधिकारी मत्स्य पालक विकास अभिकरण जनपद-बदायूं मेरठ वाराणसी आजमगढ बस्ती देवरिया गोरखपुर फैजाबाद गोण्डा प्रतापगढ सुल्तानपुर बाराबंकी जौनपुर बलिया गाजीपुर इलाहाबाद उन्नाव लखनऊ रायबरेली।**
6. **वित्त एवं लेखाधिकारी मत्स्य निदेशालय ।**
7. **वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-२/वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-२।**
8. **गार्ड फाईल ।**

आज्ञा से

(क्षेत्रपाल)
संयुक्त सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in